03.04.2025:—पत्रावली पेशी मे ली गई। अधिवक्ता प्रतिवादी सख्या 2 द्वारा प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. के तथ्यो को दोहराते हुए प्रतिवादी सख्या 2 को बेदखल करने तथा प्रतिवादी सख्या 2 को कब्जा काश्त से बेदखल करने बाबत निषेधाज्ञा जारी करने बाबत निवेदन किया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दौहराया व निवेदन किया कि वादपत्र दिनांक 02.08.2024 को अंतिम डिक्री पारित की जा चुकी है। तथा अंतिम डिक्री पारित करने उपरान्त पत्रावली मे किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती पत्रावली का अवलोंकन किया गया। बाद अवलोकन पत्रावली मे अंतिम डिक्री पारित की जाकर खाता विभाजन किया जा चुका है। प्रतिवादी सख्या 2 विधिनुसार अपने आराजी के खाता विभाजन बाबात नया वादपत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। या निर्णय व डिक्री दिनांक 02.08.2024 के विरूध अपीलाधीन न्यायालय मे अपील की जा सकती है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. सारहीन होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफतर की जाती है

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 17:31:18 IST
Reason: SelfAttested